

# कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(बीपी)/का.वि./2019/6218

दिनांक:- 18.04.2019

## -:कार्यवाही विवरण:-

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 2/2019 की बैठक दिनांक 11.04.2019 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई। इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत् निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

| एजेण्डा संख्या | जोन   | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | निर्णय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01             | पूर्व | राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा नं. 107 के एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 473.95 वर्गमीटर पर सामुदायिक उपयोग के अनुमोदित भवन मानचित्र में जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2017 के अनुसार अनुज्ञेय सीमा में भवन मानचित्र में संशोधित करते हुए संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।<br><br>आवेदक :- श्री मोहम्मद दाउद खान पुत्र श्री नूर मोहम्मद,                                                     | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-<br>1. प्रकरण को पूर्व में भवन मानचित्र अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18.12.2018 को निर्णयार्थ रखा गया, जिसमें समिति द्वारा प्रकरण में अन्य सामुदायिक सुविधा में किस प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन चाहा गया है उक्त हेतु प्रार्थी को पत्र लिखा जावे का निर्णय लिया गया।<br>उक्त निर्णय के क्रम में प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.02.2019 को प्रार्थन:-पत्र प्रस्तुत कर अन्य सामुदायिक सुविधा में सामुदायिक भवन का निर्माण करने हेतु निवेदन किया गया है।<br>2. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोधपुरा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.16 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।<br>3. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग लिया जाना अपेक्षित है।<br>4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र में आंशिक संशोधन की पूर्ति करवाते हुये संशोधित मानचित्र लिये जाने अपेक्षित है।<br>5. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।<br>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -<br>1. मानचित्र में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जोधपुरा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.16 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।<br>2. वास्तुविद् से शपथ-पत्र लिया जावे।<br>3. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 04 के क्रम में आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।<br>4. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावे। |
| 02             | पूर्व | राजस्व ग्राम पाल आशापूर्णा एन्कलेव के खसरा नं. 292/4 के एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 817.47 वर्गमीटर पर आवासीय उपयोग के अनुमोदित भवन मानचित्र में जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2017 के अनुसार अनुज्ञेय सीमा में भवन मानचित्र में संशोधित करते हुए संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।<br><br>आवेदक :- श्री छगनराज सुराणा पुत्र श्री भीकचन्द, श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी श्री छगनराज सुराणा, | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-<br>1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोधपुरा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.16 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।<br>2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र में आंशिक संशोधन की पूर्ति करवाते हुये संशोधित मानचित्र लिये जाने अपेक्षित है।<br>3. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग लिया जाना अपेक्षित है।<br>4. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।<br>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -<br>1. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 व 3 के क्रम में प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जावे।<br>2. उपरोक्त एजेण्डा के बिन्दु संख्या 02 के क्रम में आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।<br>3. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

2

Sm

4

3in

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 | दक्षिण | <p>राजस्व ग्राम पाल मोटर मर्चेट के खसरा नं. 274/1, 274/2, 274/3, 276/1, 276/2, 277, 278, 286/4, 286/5 व 647/277 के भूखण्ड संख्या 453 क्षेत्रफल 817.47 वर्गमीटर पर आवासीय उपयोग के अनुमोदित भवन मानचित्र में जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2017 के अनुसार अनुज्ञेय सीमा में भवन मानचित्र में संशोधित करते हुए संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री किशन गहलोत पुत्र श्री गोविन्दराम,</p> | <p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में आवेदक द्वारा बेसमेंट+भू-तल+1 मंजिल प्रस्तावित की गयी है। भवन विनियम के बिन्दु संख्या-9.6 अनुसार तालिका में निर्धारित सैटबैक छोड़ने के पश्चात शेष भाग पर बेसमेंट का निर्माण किया जा सकेगा, चाहे भवन का निर्माण तालिका में निर्धारित सैटबैक से अधिक सैटबैक छोड़कर किया गया हो, परन्तु 15 वर्गमीटर क्षेत्रफल से छोटे वाणिज्यिक भवनों में बेसमेंट देय नहीं होगा। यदि किसी भूखण्ड में पार्श्व (साईड) व पीछे का सैटबैक 2 मीटर से कम हो एवं पार्श्वी सैटबैक रेखा तक तहखाना बनाना चाहता है तो ऐसी दशा में विकास प्राधिकरण/निगम के हित में क्षतिपूर्ति बंध पत्र देना होगा।</li> <li>उक्त बिन्दु के क्रम में आवेदित भूमि पर भू-तल+1 मंजिल ही अनुज्ञेय किया जाना उचित होगा।</li> <li>2. वास्तुविद द्वारा अण्डरटेकिंग लिया जाना अपेक्षित है।</li> <li>3. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्त बिन्दु के पैरा संख्या 1 अनुसार भू-तल+1 मंजिल अनुज्ञेय किये जाने तथा उपरोक्तानुसार अन्य बिन्दुओं की पूर्ति करते हुए मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।</p> |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

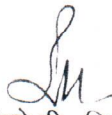
आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

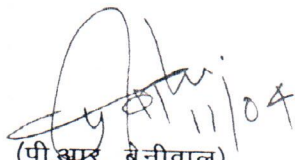
  
(गौरव अग्रवाल)  
आयुक्त  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

  
(ओ.पी. बुनकर)  
सचिव  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

  
(ए.के. गुप्ता)  
निदेशक अभियांत्रिकी  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

  
(श्रवणसिंह राजावत)  
उपायुक्त (उत्तर/पश्चिम)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

  
(ओ.पी. विश्णोई)  
उपायुक्त (पूर्व/दक्षिण)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

  
(पी.भट्ट)  
निदेशक आयोजना एवं सदस्य  
सचिव  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 02/2019 वीं बैठक दिनांक 11.04.2019 को जोन उत्तर व दिनांक 06.03.2019 को जोन दक्षिण की बैठक जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर।                     | अध्यक्ष      |
| 2. श्री ओ.पी. बुनकर, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर             | संयोजक/सदस्य |
| 3. श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।      | सदस्य        |
| 4. श्री श्रवणसिंह राजावत, उपायुक्त (उत्तर/पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य        |
| 5. श्री ओ.पी. विश्नोई, उपायुक्त (पूर्व/दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर।    | सदस्य        |
| 6. श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।           | सदस्य सचिव   |

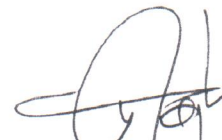
 18/04.  
निदेशक (आयोजना),  
एवं सदस्य सचिव,  
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)

क्रमांक :- F37(2)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी)/का.वि./2019/6218-6226

दिनांक:- 18.04.2019

प्रतिलिपि :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी श्री हेमराज मीणा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करें।

 18/04.  
निदेशक (आयोजना),  
एवं सदस्य सचिव,  
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) न मानचित्र  
समिति (बी.पी.)